जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः-R4759/2022

आदेश

दिनांक **16.08.2022**

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **रामखिलाड़ी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **160/2019** अन्तर्गत धारा-**12 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट** संबंधित थाना **कादरचौक,** जिला बदायूँ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त आज आत्मसमर्पण करके न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र संस्थित है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप जमानतीय है। अभियुक्त न्यायोचित जमानत संस्थित करने को तैयार है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त द्वारा अंकन बीस हजार रुपये का पी०बी० व इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो जमानत पर रिहा किया जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बदायूँ।